क्रम संख्या–55 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 16 मई, 2023 ई0

बैशाख 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 187 / XXXVI (3) / 2023 / 73(1) / 2022

देहरादून, 16 मई, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक, 2022' पर दिनांक 12 मई, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 16, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हरिद्वार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2023)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अध्याय–1	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	4
2.	परिभाषायें	4–7
	अध्याय–2	
	विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य	
3.	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव	8
4.	विश्वविद्यालय की स्थापना	8–9
5.	विश्वविद्यालय स्थापना के लिए शर्तें	9
6.	विश्वविद्यालय का प्रारम्भ	10
7.	विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	10
8.	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	10
9.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	10–11
10.	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	11–14
11.	विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति सम्प्रदाय एवं लिंग की पहुंच	14
12.	राष्ट्रीय प्रत्यायन	14
	अध्याय –3	
	विश्वविद्यालय के अधिकारी	
13.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	14
14.	कुलाध्यक्ष(विजिटर)	15
15.	कुलाधिपति	15
16.	कुलपति	15–16
17.	प्रति–कुलपति	16
18.	कुलसचिव	17
19.	संकायाध्यक्ष	17
20.	वित्त अधिकारी	17
21.	अन्य अधिकारी गण	17
	अध्याय–4	
	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	
22.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	17–18
23.	व्यवस्थापक मण्डल व उनकी शक्तियां	18–19
24.	प्रबन्ध मण्डल	19
25.	विद्या परिषद्	20
26.	वित्त समिति	20
27.	अन्य प्राधिकरण	20

28.	रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	20
29.	शुल्क संरचना	20
	अध्याय–5	
	परिनियम और नियम	
30.	परिनियम	21
31.	परिनियम बनाने की शक्ति	22
32.	परिनियम में संशोधन करने की शक्ति	22
33.	नियम	
34.	नियमावली बनाने की शक्ति	23
35.	नियमों को संशोधन करने की शक्ति	23
	अध्याय–6	
	प्रकीर्ण	
36.	कर्मचारियों की सेवा शर्ते	23–24
37.	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध	24
38.	अपील का अधिकार	24
39.	भविष्य निधियां एवं पेंशन	24
40.	विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद	24
41.	समितियों का गठन	25
42.	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	25
43.	सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण	25
44.	संक्रमणकालीन उपबन्ध	25
45.	स्थायी विन्यास निधि	25–26
46.	सामान्य निधि	26
47.	विकास निधि	26
48.	निधि का अनुरक्षण	26
49.	वार्षिक प्रतिवेदन	27
50.	लेखा एवं लेखा परीक्षा	27
51.	विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति	28
52.	विश्वविद्यालय का विघटन	28
53.	विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	28
54.	कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	28–29

हरिद्वार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2023)

वाणिज्य, पर्यटन(टूरिज्म) प्रबन्धन, भेषजी (फार्मेसी), होटल प्रबन्धन, चिकित्सालय प्रबन्धन (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), ऐनीमेशन, मल्टीमीडिया, वानिकी(फॉरेस्ट्री), कृषि, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, कृषि विज्ञान (ऐग्रोनोमी), बिजनेस एडमीनिस्ट्रेशन, , कम्प्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध कार्य एवं प्रसार से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत 'सत्यम एजुकेशनल सोसाइटी' रूड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रूड़की टू हरिद्वार केनाल रोड़, बाजूहेडी, रूड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667 द्वारा प्रायोजित हरिद्वार विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय– एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हरिद्वार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "व्यवस्थापक मण्डल" से विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;

(घ) "प्रबंध मण्डल" से विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल अभिप्रेत है;

(ङ) "पाठ्यकम मण्डल" और "परीक्षा मण्डल", से कमशः विश्वविद्यालय के पाठ्यकम मण्डल, परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है;

(च) "परिसर" से विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना के पांच वर्ष के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के भीतर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार की पूर्वानुमति से मुख्य परिसर के बाहर इसके संघटक इकाई के रूप में स्थापित, संचालित एवं अनुरक्षित परिसर अभिप्रेत है;

(छ) "कैरियर एकेडमी सैण्टर" से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई-मेल, इण्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;

(ज) "कुलाधिपति", "कुलपति", "प्रतिकुलपति", "कुलसचिव" एवं "वित्त अधिकारी" से क्रमशः विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति', कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुलसचिव' एवं 'वित्त अधिकारी' अभिप्रेत है;

(झ) "संघटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;

(ञ) "उपाधि" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट उपाधि अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर के निदेशक या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य/संकायाध्यक्ष" से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(ठ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;

(ड) "संकाय" से विश्वविद्यालय के संकाय अभिप्रेत है;

(ढ) "प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति एवं उसकी शक्ति" से उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अधीन गठित समिति एवं उक्त अधिनियम में समिति को प्राप्त शक्तियों अभिप्रेत है;

(ण) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय के वित्त समिति अभिप्रेत है,

(त) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(थ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्यता प्राप्त छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;

(द) "मुख्य परिसर" से विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर, जिसमें एक ही स्थान पर कम से कम पांच शैक्षणिक विभागों सहित विश्वविद्यालय का मुख्यालय सम्मिलित हो, अभिप्रेत है;

(ध) "मुक्त और दूर–शिक्षा पद्धति" से एक व्यावहारिक अथवा कार्य अनुभव सहित उच्च शिक्षा संस्थान या विद्यार्थी सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रिन्ट, इलैक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और कभी–कभी सापेक्ष आमुख भेंट करने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ अनेकानेक संचार के साधन का उपयोग कर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की खाई पाट कर लचीला ज्ञान अर्जन सेवाएं उपलब्ध करवाना अभिप्रेत है;

(न) "स्थायी निवासी" से राज्य के ऐसे निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास/स्थायी निवास का वैध प्रमाण पत्र हों;

(प) "विहित" से परिनियमों अथवा नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) "क्षेत्रीय केन्द्र" से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यो के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्धन मण्डल द्वारा किया गया हो;

(ब) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था– 'सत्यम एजुकेशनल सोसाइटी' रूड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रूडकी टू हरिद्वार केनाल रोड़, बाजूहेडी, रूड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667 अभिप्रेत है;

(भ) ''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(म) ''परिनियम'' और ''नियमावली'' से क्रमशः विश्वविद्यालय के 'परिनियम' और 'नियमावली' अभिप्रेत है;

(य) ''सांविधिक/विनियामक निकाय'' से एक निकाय जिसका गठन उच्च शिक्षा के संगत क्षेत्रों में मानकों की स्थापना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा किया गया हो, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०सी०आई०टी०ई०), भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम०सी०आई०), भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् (डी०सी०आई०), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन०सी०आई०टी० ई०) एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी०सी०आई०) इत्यादि अभिप्रेत है;

(य क) ''अध्ययन केन्द्र'' से विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना के पांच वर्ष के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के भीतर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों को सलाह, परामर्श या किसी भी अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र से अभिप्रेत है।

(य ख) ''अध्यापक'' से आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे विश्वविद्यालय या अन्य परिसर अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स में शिक्षा प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरुप नियुक्त किया जाये;

(य ग) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित हरिद्वार विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(य घ) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(य ङ) ''कुलाध्यक्ष (विजिटर)'' से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है

अध्याय –दो
विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3. (1) प्रायोजक निकाय को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हरिद्वार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य के जिला हरिद्वार में प्रायोजक निकाय द्वारा हरिद्वार विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय 5 किमी. रूड़की–हरिद्वार केनाल रोड़, ग्राम बाजूहेड़ी, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा।

(3) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रति–कुलपति, कुलसचिव एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए उन्हें अर्जित किया गया है, उपयोग नहीं किया जाएगा।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, संकाय, भूमि, भवन व अन्य ढांचागत सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता इत्यादि के संम्बंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा समय–समय पर प्रदत्त न्यूनतम मानदंडों का पालन किया जायेगा।

(6) विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि एवं अन्य जंगम एवं स्थावर सम्पत्तियां, प्रायोजक निकाय की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।

(7) विश्वविद्यालय फँचाइजिंग व्यवस्था के द्वारा अपने कार्यक्रम निजी संस्थानों को प्रदान नहीं करेगा, चाहे पाठ्क्रमों को दूर शिक्षा

पद्धति के माध्यम से संचालित किया जाना हो।

(8) विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) का अनुपालन करेगा।

(9) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) का अनुपालन करेगा।

(10) विश्वविद्यालय केवल ऐसी उपाधि (डिग्री) प्रदान करेगा, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो।

(11) विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित विनियमों के अनुसार अपनी प्रथम उपाधि (डिग्री), स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर डिग्री) एवं शोध कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय स्थापना के लिए शर्ते

5. प्रायोजक निकाय को इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम मानक 10 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व है;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर न्यूनतम मानक 20,000 वर्गमीटर कारपेट ऐरिया में भवन निर्माण, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रायोजनों के लिए हो;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम चार करोड़ रूपये की लागत से कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में उपस्करों की स्थापना की गई हो;

(घ) प्रायोजक निकाय भारत सरकार से पर्यावरण क्लीयरेन्स विहित नियमों के अधीन प्राप्त कर राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम पर धारा 45 में निर्धारित स्थायी विन्यास निधि की स्थापना की जाएगी;

विश्वविद्यालय का प्रारम्भ	6.	(1) राज्य सरकार प्रायोजक निकाय द्वारा धारा 5 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करने के प्रस्ताव एवं संबंधित अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।
		(2) राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के संचालन प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करेगी।
विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	7.	विश्वविद्यालय स्व वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।
किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	8.	विश्वविद्यालय को किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान से डिप्लोमा, उपाधि (डिग्री) या अन्य उपाधियों को प्रदान करने के लिए, पाठ्यकम संचालित करने के लिए सम्बद्ध करने की शक्ति नहीं होगी।
विश्वविद्यालय के उद्देश्य	9.	जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नलिखित हैं--

(क) वाणिज्य, पर्यटन (टूरिज्म) प्रबन्धन, भेषजी (फार्मेसी), होटल प्रबन्धन, चिकित्सालय प्रबंधन (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), एनीमेशन, मल्टीमीडिया वानिकी (फॉरेस्ट्री), कृषि, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, कृषि विज्ञान (ऐग्रोनोमी), बिजनेस एडमीनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन शिक्षा क्षेत्रों की शिक्षण में व्यापक अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण, शोध कार्य एवं प्रसार को प्रदान की व्यवस्था करना;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सांविधिक/विनियामक निकाय और राज्य सरकार की पूर्वानुमति एव निर्धारित प्रकिया व मानदण्डों का अनुपालन करते हुए वाणिज्य, पर्यटन (टूरिज्म) प्रबन्धन, भेषजी (फार्मेसी), होटल प्रबन्धन, चिकित्सालय प्रबंधन (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), एनीमेशन, मल्टीमीडिया, वानिकी (फॉरेस्ट्री), कृषि, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, कृषि विज्ञान (ऐग्रोनोमी), बिजनेस एडमीनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों का संचालन करना।;

(ग) वाणिज्य, पर्यटन (टूरिज्म) प्रबन्धन, भेषजी (फार्मेसी), होटल प्रबन्धन, चिकित्सालय प्रबंधन (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), एनीमेशन, मल्टीमीडिया, वानिकी (फॉरेस्ट्री), कृषि, इंजीनियरिंग,

कम्प्यूटर साइंस, कृषि विज्ञान (ऐग्रोनोमी), बिजनेस एडमीनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अध्ययन गोष्ठियाँ, अधिवेशन, कार्यशिवर शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समूह अध्ययन, इत्यादि करना;

(घ) बाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं बाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना;

(ड़) राष्ट्रीय एकीकरण, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और नैतिकता अभियंत्रीकरण की समझ को बढ़ावा देना;

(च) सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के संवर्धन एवं विकास में योगदान करना एवं ऐसे छात्रों को मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर प्रदान करना;

(छ) जैसा कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

10. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) वाणिज्य, पर्यटन (टूरिज्म) प्रबन्धन, भेषजी (फार्मेसी), होटल प्रबन्धन, चिकित्सालय प्रबंधन (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), एनीमेशन, मल्टीमीडिया, वानिकी (फॉरेस्ट्री), कृषि, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, कृषि विज्ञान (ऐग्रोनोमी), बिजनेस एडमीनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन के विषयों में शिक्षण करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्रावधान करना;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों की उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने :

(एक) विश्वविद्यालय या इसके अन्य परिसर अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स या दूर शिक्षा

पद्धति के अधीन शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, अथवा

(दो) विश्वविद्यालय या अन्य परिसर अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो,

(घ) परिनियमों/नियमावली में अभिकथित रीति और शर्तो के अधीन मानद् उपाधियों, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ड़) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;

(च) ऐसी शुल्क (फीस), जमा, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें;

(छ) धारा 9 में उल्लिखित वाणिज्य, पर्यटन (टूरिज्म) प्रबन्धन, भेषजी (फार्मेसी), होटल प्रबन्धन, चिकित्सालय प्रबंधन (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), एनीमेशन, मल्टिमीडिया, वानिकी (फॉरेस्ट्री), कृषि, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, कृषि विज्ञान (ऐग्रोनोमी), बिजनेस एडमीनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर गतिविधियों अन्य की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय अथवा इसके अन्य परिसर अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ञ) प्रायोजक निकाय की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, के प्रयोजनार्थ दान, परियोजना अनुदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निस्तारण करना;

(ट) विश्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास

स्थानों को निश्चित करना;

(ठ) आवास का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्त विनिर्दिष्ट करना;

(ड) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें;

(ण) दूर–शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में दूर शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित सांविधिक / विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मानदण्ड के अनुसार आयोजित किया जा सकें;

(त) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यकम, अभिविन्यास पाठ्यकम, कार्यशालाऐं, संगोष्ठियां और अन्य कार्यकम आयोजित और संचालित करना;

(थ) विश्वविद्यालय में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(द) विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यकम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना;

(ध) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हों या न हों;

(न) स्नातक, स्नातकोत्तर की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए पाठ्यकम और शोध निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण पत्र आदि के लिए पाठ्यकम आरम्भ करना;

(प) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रायोजक निकाय की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग रखना;

(फ) फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.), डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क(डी.वी.डी.) और अन्य साफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ब) अन्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण अथवा आंशिक) को

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता करना और ऐसी दी गयी मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;

(भ) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;

(म) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

विश्वविद्यालय का सभी वर्ग, जातियों और पंथों और लिंग के लिए खुला होना

11. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी वर्ग, जाति या लिंग के हो, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा:

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने का प्रतिबन्ध है:

परन्तु यह और कि इस धारा में किसी बात के होते हुये भी यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या अन्य परिसर अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं संबंधित साविधिक/विनियामक निकाय द्वारा अवधारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

12. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों से नियमानुसार मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय –तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

13. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);

(ख) कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति–कुलपति;

(ड़) कुलसचिव;

(च) संकायाध्यक्ष;

(छ) वित्त अधिकारी; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

14. (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होगें।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के मामले से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त, या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों, पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जायेगा;

(ग) मानद् उपाधि या विशिष्टता प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्याधीन होगा।

कुलाधिपति

15. (1) प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष हरिद्वार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगें, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा; तत्पश्चात् प्रायोजक निकाय द्वारा अपने सदस्यों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी, जो उसे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।

कुलपति

16. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद्;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक सदस्य;

(ड़) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामनिर्देशित किया जायेगा।

(च) आईआईटी या सरकारी कॉलेजों के विशेषज्ञों में से तीन नामांकित व्यक्ति जो प्रोफेसर के पद से निम्न न हो और न्यूनतम 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, कुलाधिपति द्वारा नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इसे तत्काल व्यवहृत न किया जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उचित समझें।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अभिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जांच करने के उपरान्त, कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा; कुलाधिपति, जांच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति

17. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

18. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर की जायेगी, जैसे कि परिनियम में विहित की जायें।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाऐं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

संकायाध्यक्ष

19. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलाधिपति या अधिकृत व्यक्ति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी

20. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयौग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।

अन्य अधिकारी गण

21. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन व शर्ते तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय –चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे अर्थात्:–

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ड़) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाएगा।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां

23. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

(क) कुलाधिपति – अध्यक्ष;

(ख) व्यवस्थापक मण्डल के सह अध्यक्ष को प्रायोजक निकाय के सदस्यों में से किसी को नामित किया जायेगा;

(ग) कुलपति – सदस्य सचिव;

(घ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(ड़) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच सदस्य;

(च) प्रतिष्ठित औद्योगिक/कॉरपोरेट क्षेत्र/प्रतिष्ठित व्यवसायिक पेशेवरों से कुलाधिपति द्वारा मनोनीत दो सदस्य;

(छ) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों में से प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो सदस्य

(ज) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित तीन शिक्षाविद्;

(झ) कुलाध्यक्ष के द्वारा नामनिर्देशित उद्योग जगत् के तीन सदस्य।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्: –

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरुप न हो, का पुनरावलोकन;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्मिक लेखा का अनुमोदन;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों या नियमावली को बनाना या विद्यमान परिनियमों अथवा नियमावली का संशोधन या निरसन;

(ड़) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के सम्बन्ध में विनिश्चिय करना;

(च) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना; और

(छ) ऐसे निर्णय एवं कदम उठाना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हो।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

24. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:-

(क) कुलपति -- अध्यक्ष;

(ख) प्रति--कुलपति (यदि है तो)-- सदस्य;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(घ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच सदस्य;

(ड़) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चकानुकम से कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित चक्रानुक्रम आधार पर दो संकायध्यक्ष;

(छ) राज्य सरकार के उच्च विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून।

(ज) कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुल सचिव गैर- सदस्य सचिव होगें।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होगे जैसा परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

विद्या परिषद् 25. (1) विद्या परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) कुल सचिव – सचिव

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षिणक निकाय होगी और इस अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नियमों व परिनियमों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति 26. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) वित्त अधिकारी – सचिव;

(ग) राज्य सरकार के उच्च विभाग के प्रमुख सचिव/सचिंव अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियमों में विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देख–रेख करेगी और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण 27. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियम/नियमावली द्वारा विहित किया जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना 28. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

शुल्क संरचना 29. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय –पांच
परिनियम और नियम

परिनियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों/अधिकारियो के सम्बन्ध में निम्नलिखित किसी विषय के लिए परिनियम द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी :

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रकिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;

(ग) कुलाधिपति की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(घ) कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्ते, तथा उनकी शक्तियाँ व कृत्य;

(ड़) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्ते;

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, अध्यापकों, संकाय सदस्यो, कर्मचारियों अथवा छात्रों के मध्य विवाद के निराकरण की प्रकिया;

(छ) विभागों और संकायो का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(झ) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रकिया;

(ञ) फीस माफी और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबन्ध;

(ट) विभिन्न पाठ्यकमों में सीटों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यकमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मिलित है;

(ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, फीस–माफी, पदक और पुरस्कार की स्थापना;

(ड़) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया; और

(ढ) अन्य मामले, जो परिनियमों में विहित किये जायें।

परिनियम बनाने की शक्ति

31. व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम, अधिनियम के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तरण के साथ या बिना उपान्तरण के परिनियमों को तीन माह के भीतर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

32. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या विद्यमान परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा;

परन्तु, यदि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के अनुमोदित परिनियम, विधि द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया/प्रावधान से असंगत हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापक मण्डल के प्रस्ताव के बिना राज्य सरकार को परिनियम में अंकित असंगत प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार होगा।

नियमावली बनाने की शक्ति

33. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुये, निम्नलिखित समस्त उनमें से किसी विषय पर नियम बनाये जा सकेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रुप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्ते;

(ड़) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (moderators) की नियुक्ति की शर्ते और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विभिन्न पाठ्कमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्ते;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों अनुशासन बनाए रखना;

(ञ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में उपबन्ध किया जाए।

नियमावली बनाये जाने की रीति

34. व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी गयी प्रथम नियमावली, अधिनियम के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर, राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो उपान्तरण के साथ या बिना उपान्तरण के नियमावली पर तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

नियमों में संशोधन करने की शक्ति

35. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या विद्यमान नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा;

परन्तु, यदि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के अनुमोदित नियम, विधि द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया/प्रावधान से असंगत हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापक मण्डल के प्रस्ताव के बिना राज्य सरकार को नियम में अंकित असंगत प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार होगा।

अध्याय –छः
प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्ते

36. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) कर्मचारियों, अध्यापकों एवं अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विश्वविद्यालय के परिनियमों में विहित प्रकिया के अनुसार शासित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से, उत्पन्न होने वाले विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबंध मंण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक होंगे।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्यो को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसे परिनियमों/नियमों विहित की जाय।

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

37. (1) विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम 31 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी/मूल निवासियों हेतु आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटें अन्य अभ्यर्थियों में से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से भरी जा सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यकमों के लिए तय शुल्क में उपधारा (1) में वर्णित उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियो को 31 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) समूह "ग" व "घ" श्रेणी के समस्त पद उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों में से उनकी योग्यता के अनुसार भरे जायेंगे।

(4) उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित आरक्षित सीटों पर विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू आरक्षण नीति का अनुपालन करेगा।

अपील का अधिकार

38. विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के विनिश्चय के विरूद्ध प्रबंध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबंध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है पुष्ट, उपान्तरित, परिवर्तित या निरस्त कर सकेगा।

भविष्य निधि एवं पेंशन

39. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जो परिनियमों अथवा नियमों द्वारा विहित किये जाये, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायो के गठन के बारे में विवाद

40. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रुप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन 41. *जब भी विश्वविद्यालय किसी* प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 42. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण 43. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अधिनियमों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, संस्थित नही होगी।

संकमणकालीन उपबन्ध 44. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी–

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति–कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए उस पद पर कार्य करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल का कार्य काल तीन वर्ष का होगा;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम विद्या परिषद् और प्रथम वित्त समिति का गठन, कुलाधिपति द्वारा व्यस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि 45. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पाँच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैक गारंटी के रुप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि

पाँच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त प्रति पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाता रहेगा तथा उक्त बैंक गारन्टी में प्रति पाँच वर्ष में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

सामान्य निधि

46. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान और;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपभोग विश्वविद्यालय के समस्त आवर्तक व्ययों को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

47. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी, अर्थात्:–

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान/दान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय–समय पर विकास निधि में जमा किए गए धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा।

निधि का अनुरक्षण

48. धारा 45, 46 और 47 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

49. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशो के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।

(3) व्यवरथापक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रतिवेदन वार्षिक की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा

50. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेख और तुलन पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेख की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जायेगी, जो द इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आई०सी०ए०आई०) के सदस्य हों।

(3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जायगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखां – परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को

51. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही यां

प्रमाणित करने की रीति

संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रुप से विधिवत् रखी गई किसी पंजिका की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रुप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रुप में स्वीकार की गयी होती।

विश्वविद्यालय का विघटन

52. (1) यदि प्रायोजक निकाय हरिद्वार विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके विघटन का प्रस्ताव रखती है तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रशासन को नियमानुसार अधिग्रहित करेगी।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

53. (1) धारा 52 के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय के विघटन की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश

द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु यह विनिश्चय किया गया है कि 5 किमी, रूड़की–हरिद्वार केनाल रोड़, ग्राम बाजूहेड़ी रूडकी, हरिद्वार में 'सत्यम एजुकेशनल सोसाइटी', रूड़की द्वारा प्रायोजित हरिद्वार विश्वविद्यालय के नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा। उक्त विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री